

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eeepdgpr1@gmail.com

पत्रांक- १०५ / 24 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक- 24/04/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर मध्य क्षेत्र देहरादून का पत्रांक बी/यू.सी.पी./06/191/2016/ एफ0 सी0/80 दिनांक 16.04.2019। इस कार्यालय का पत्रांक 1289/23 एल0ए0 दिनांक 20.06. 2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तरा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू.सी.पी./06/191/2016/ एफ0सी0/80 दिनांक 16.04.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित बिन्दुवार अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है:-

क्रम सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के रखरखाव हेतु मांग पत्र के अनुसार रु. 2808410.00 धनराशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के संख्या एस0बी0आईएन0 52021032216962243 दिनांक 22.03.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। एवं आपके पत्रांक संख्या 1464/12-1 दिनांक 0809.2023 द्वारा 2110 वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के0एम0एल0 आदि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, जिसके क्रम में सैकोट रिजर्व कक्ष संख्या 1ए0 के 0एम0एल0 फाईल एवं डिजीटल मानचित्र एवं चालान की प्रति सलग्न चार-चार प्रतियों में प्रेषित है।

02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी. की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	(एन.पी.वी. हेतु देय धनराशि रु. 791765.00 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0वी0आई0एन0 52021032216962243 दिनांक 22.03.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। अतिरिक्त एन0पी0वी0 की संशोधित धनराशि रु. 419635.00 का भुगतान उत्तराखण्ड कैम्पा खता संख्या 150895115628382 में दिनांक 25.02.2025 द्वारा भुगतान कर दिया गया है चालान की प्रति सलंगन चार चार प्रतियों में।
03	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता द्वारा वचन बढ़ती प्रस्तुत की जाए।	प्रमाण पत्र सलंगन चार चार प्रतियों में।
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cot NPV etc) का पोर्टल पर Online Generatc किए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाय अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा (CA cot NPV etc) का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया।
05	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Center verge अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strep Plantation की जायेगी। इस आशय के साथ बद्धता प्रेषित करनी है।	प्रमाण पत्र सलंगन चार चार प्रतियों में।
06	State Govt. will submit the Certificate of WLW. In original	CWLW की मूल प्रति प्रस्ताव में पूर्व ही सलंगन की गयी है वर्तमान में सत्यापित प्रति चार चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

सलंगल:- उपरोक्तानुसार चार चार प्रतियों में।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गयी अनुपालन आख्या अपने स्तर से प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालौनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

Nam Singh
24.4.2025
अधिरासी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (द्वितीय), प्रा. खण्ड लो.नि.वि., गोपेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में वन विभाग से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन प्रा0ख0लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0710

Nam Singh
24.4.2025
अधिरासी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

(9/c)

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 1289/23एल.ए.

दिनांक 22/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय :- चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार में बवछेर गांव तक मोंटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/191/2016/एफ0सी0/80 दिनांक 16.04.2019।
15628/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/191/2016/एफ0सी0/80 दिनांक 16.04.2016 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार पुनः प्रेषित की जा रही है -

बिन्दु सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों (को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के रखरखाव हेतु मांग पत्र के अनुसार रु. 2808410.00 धनराशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0बी0आई0एन0 52021032216962243 दिनांक 22.03.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। एवं आपके पत्रांक संख्या 1464/12-1 दिनांक 08.09.2023 द्वारा 2110 वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का के0एम0एल0 आदि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जिसके क्रम में सेकोट रिजर्व कक्ष संख्या 1ए0 के0एम0एल0 फाईल एवं डिजीटल मानचित्र एवं चालान की प्रति सलग्न चार-चार प्रतियों/ईमेल के माध्यम में।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 हेतु देय धनराशि रु. 791765.00 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0 बी0 आई0 एन0 52021032216962243 दिनांक 22.03.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। सलग्न 01 के अनुसार।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 1289 /23एल.ए.

दिनांक 22/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैराश्रित वन्य जीव गोपेश्वर। पुन्नाग गोपेश्वर

विषय :- चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार में बबछेर गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/191/2016/एफ0सी0/80 दिनांक 16.04.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/191/2016/एफ0सी0/80 दिनांक 16.04.2016 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार पुनः प्रेषित की जा रही है -

बिन्दु सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों (को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के रखरखाव हेतु मांग पत्र के अनुसार रु. 2808410.00 धनराशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0बी0आई0एन0 52021032216962243 दिनांक 22.03.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। एवं आपके पत्रांक संख्या 1464/12-1 दिनांक 08.09.2023 द्वारा 2110 वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का के0एम0एल0 आदि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जिसके क्रम में सैकोट रिजर्व कक्ष संख्या 1ए0 के0एम0एल0 फाईल एवं डिजीटल मानचित्र एवं चालान की प्रति सलग्न चार-चार प्रतियों/ईमेल के माध्यम में।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 हेतु देय धनराशि रु. 791765.00 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0 बी0 आई0 एन0 52021032216962243 दिनांक 22.03.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। सलग्न 01 के अनुसार।

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न है। चार-चार प्रतियों में।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost. NPV etc.) का पोर्टल पर Online Generatc किए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाय अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एनपीवी का भुगतान Online Portal के माध्यम से भुगतान किया गया है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strep Plantation की जायेगी। इस आशय के साथ बढ़ता प्रेषित करनी है।	उक्त प्रमाण पत्र संलग्न चार-चार प्रतियों में।
6	State Govt. wil submit the certificate of CWLW. In original	उक्त प्रमाण पत्र संलग्न चार-चार प्रतियों में।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गयी अनुपालन आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता (द्वितीय) प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन भूमि सहायक/खण्डीय अमीन प्रा० ख० लो०नि०वि० गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

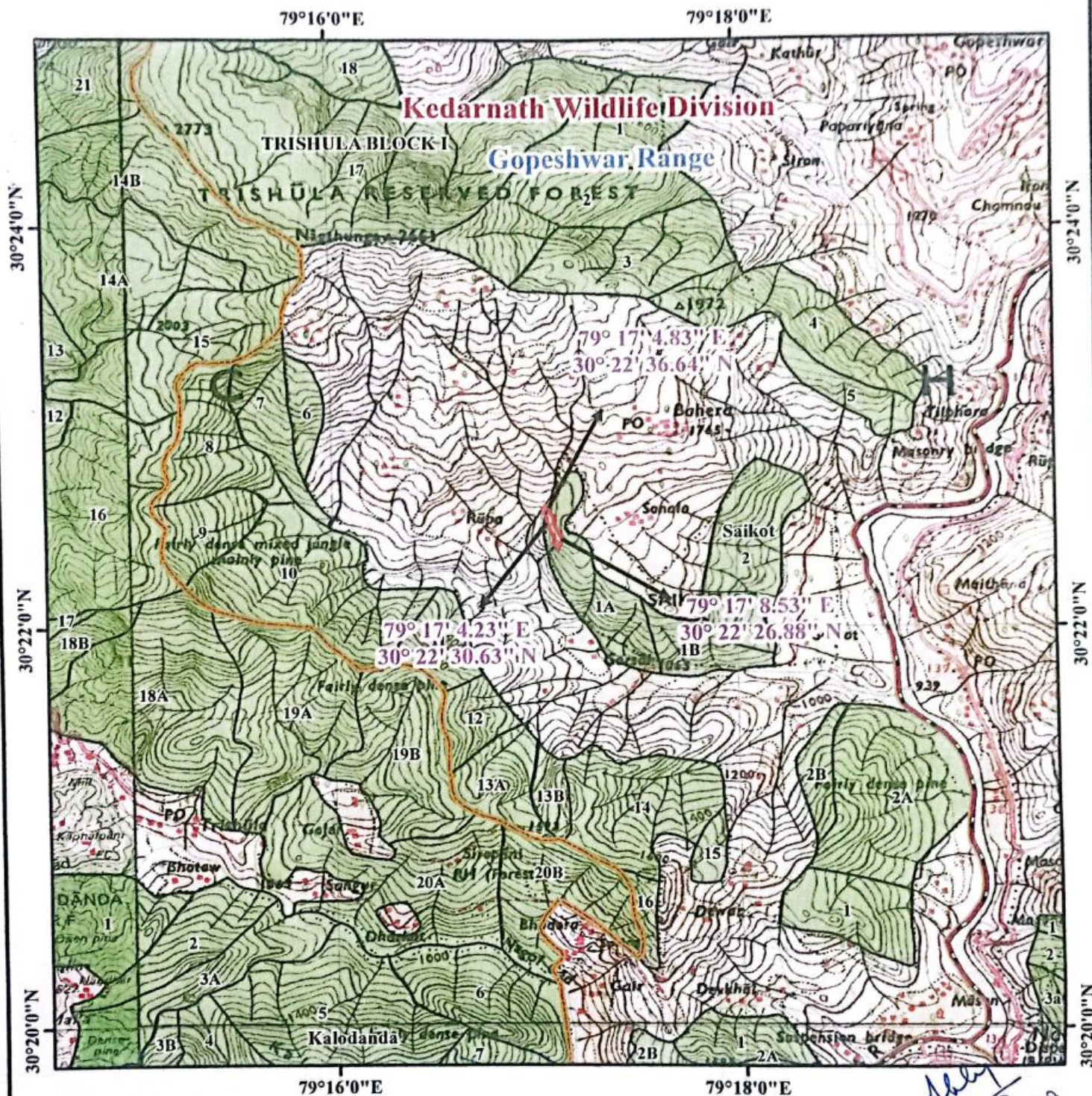
गोपेश्वर

डिजिटल मैप:-राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण काये हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 2.10 है०)

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

SOI Toposheet No: 53 N/07



Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed Land

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कोशी

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DISASTERS P.W.D.
DEHRADUN

प्रभारी वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

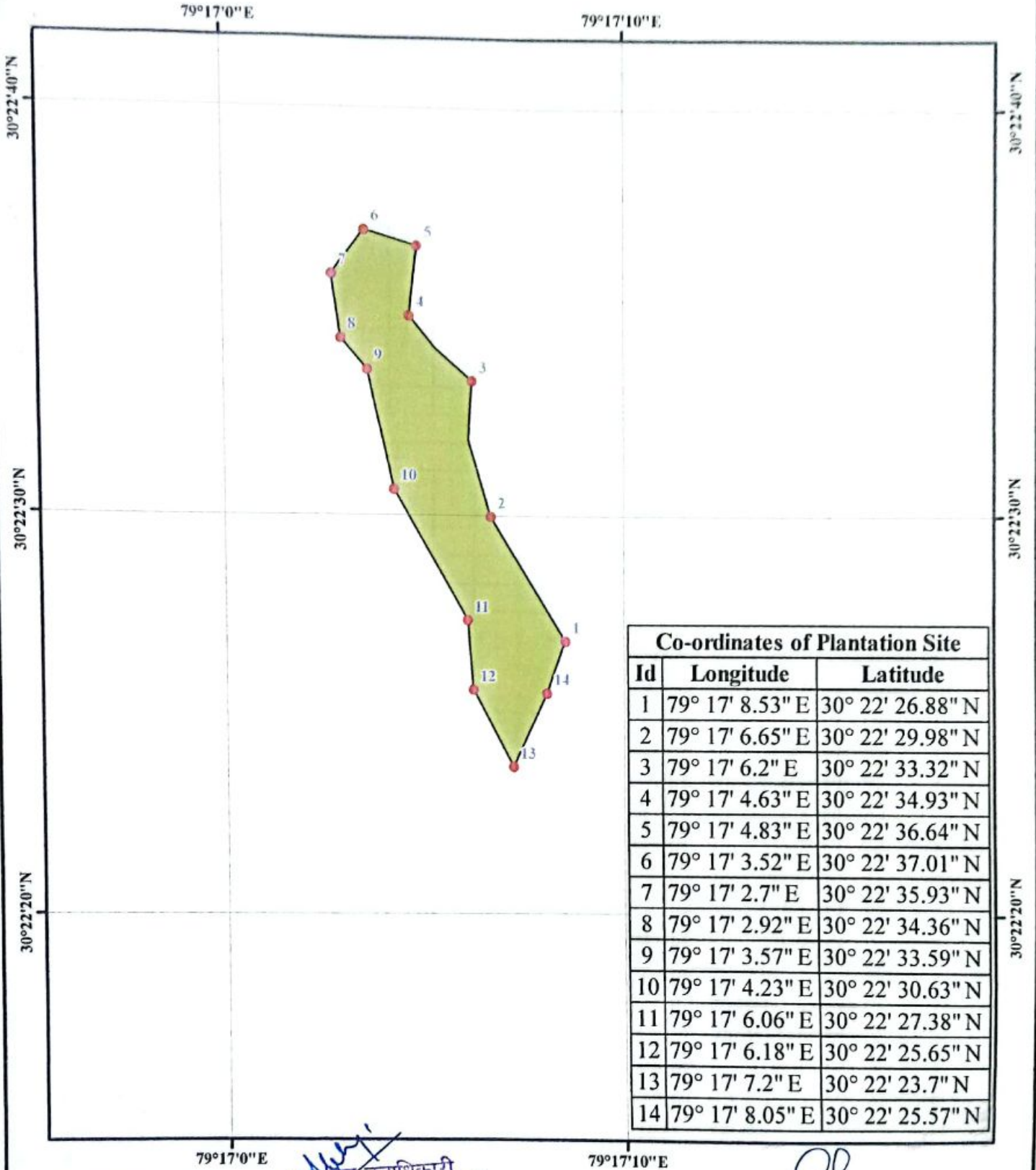
वन सहायक
गोपेश्वर वन क्षेत्र

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

करेन्स मैप :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरघार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 2.10 है०)

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km

Scale-1:4,000



Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 17' 8.53" E	30° 22' 26.88" N
2	79° 17' 6.65" E	30° 22' 29.98" N
3	79° 17' 6.2" E	30° 22' 33.32" N
4	79° 17' 4.63" E	30° 22' 34.93" N
5	79° 17' 4.83" E	30° 22' 36.64" N
6	79° 17' 3.52" E	30° 22' 37.01" N
7	79° 17' 2.7" E	30° 22' 35.93" N
8	79° 17' 2.92" E	30° 22' 34.36" N
9	79° 17' 3.57" E	30° 22' 33.59" N
10	79° 17' 4.23" E	30° 22' 30.63" N
11	79° 17' 6.06" E	30° 22' 27.38" N
12	79° 17' 6.18" E	30° 22' 25.65" N
13	79° 17' 7.2" E	30° 22' 23.7" N
14	79° 17' 8.05" E	30° 22' 25.57" N

Legend

- GPS Coordinates
- Plantation Site

प्रदेशीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वन वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
BESHPESHWAR

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

प्राक्कलन बावत- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगौंव तक मोटर मार्ग नवनिर्माण के अन्तर्गत 2110 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य करने का प्राक्कलन।

2-क्षेत्रफल 2.10 है०

वृक्षारोपण स्थल का नाम- सैकोट रिजर्व क०सं० 13 (N-30°22'28.09" E-79°17'06.66")

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या 2110 पौध। N-30°22'32.42" E-79°17'4.67"

रोपित की जाने वाली प्रजाति- मिश्रित प्रजाति। N-30°22'31.02" E-79°17'3.13")

क्र० सं०	विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ/ग	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
1	गड्ढे खुदान कार्य रेखांकन चूना सहित (0.30×0.30×0.45 मी०)					2110	14.28	प्रति गड्ढे	30130.80
2	झाड़ी कटान कार्य करना(लैंटाना घास)					0.85	6523.38	सं०	5544.87
3	ट्री गार्ड कय मय फिक्स करना	1				2110	1155.00	प्रति घ०मी	2437050.00
4	पौध की कीमत					2110	24.20	प्रति पौध	51062.00
योग प्रथम चरण									2523787.67
द्वितीय वर्ष									
1	गड्ढा भरण कार्य (0.30×0.30×0.45)					2110	2.45	प्रति गड्ढा	5169.50
2	पौध डुलान कार्य					2110	14.25	प्रति पौध	30067.50
3	पौध रोपण कार्य					2110	4.61	प्रति पौध	9727.10
4	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष					2110	4.31	प्रति सैकड़ा	9094.10
5	पौधों की प्रथम व द्वितीय निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य					2110	7.10	प्रति सैकड़ा	14981.00
7	चौकीदारी माह अगस्त से फरवरी तक 07 माह)	7				2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	15117.48
8	वृक्षारोपण बोर्ड लगाना व समस्त अन्य व्यय					2.10	2040.00	प्रति है०	4284.00
योग द्वितीय वर्ष									88440.68
तृतीय वर्ष									
1	तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत वीटिंग अप हेतु पौध की लागत/कीमत					211	34.44	प्रति पौध	7266.84
2	पौध डुलान कार्य					211	14.25	प्रति पौध	3006.75
3	गड्ढा खोदना कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावंलाबन्दी कर रोपण करना					211	20.60	प्रति पौध	4346.60
5	निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य					211	1.83	प्रति पौध	386.13
6	तृतीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (10 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68

योग तृतीय वर्ष								40922.00
चतुर्थ वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68
योग चतुर्थ वर्ष								Total 25915.68
पंचम वर्ष								
1	पंचम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68
योग पंचम वर्ष								Total 25915.68
षष्ठम वर्ष								
1	षष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68
योग षष्ठम वर्ष								Total 25915.68
सप्तम वर्ष								
1	सप्तम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68
योग सप्तम वर्ष								Total 25915.68
अष्टम वर्ष								
1	अष्टम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68
योग अष्टम वर्ष								Total 25915.68
नवम वर्ष								
1	नवम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68
योग नवम वर्ष								25915.68
दशम वर्ष								
1	दशम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12			2.10	1028.40	प्रति है०/प्रति माह	25915.68
योग दशम वर्ष								25915.68
G Total								2808644.43
प्रमुख वन संरक्षक (MOFF) के कार्यालय के फोन से 912/3-5-2 OR								2808410.00

CMA के 21-11-2017 द्वारा 100 पौधों का स्व प्रभावित होने वाले वृद्धों के पस चूना पौधों के रोपण हेतु वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित सीलिंग अनुसार घेरा,

$$= 2110 \times 1331 = 2808410.00$$

जांच किया रुपये 28,08,410.00 मात्र के लिए।

कंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभाग वन्यजीव प्रभाग
कंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्र अधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
कंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

AGENCY COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115628568
McEF/SG File No.	3B/UCP/06/191/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	3600175/-

Amount in Words Thirty-Six Lakh One Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896115628568 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampe@corpbank.co.in

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

20-3-21
Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

52021032216962243



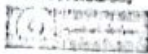
द्वारा नि सत्यापित

अधिसूचित अभियन्ता
प्रदेशीय सड़क लोडिंग विभाग
गोपेश्वर

राज्य योजना - वैदर चारुसै नदी बगौन
लक (उ.प्र.प्र.प्र.) नौ 25 बगौ

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-02-2025

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115628382
MoEF/SG File No.	88JUCF/06/19/2016/1 C.
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	419635/-

Amount in Words : Four Lakh Nineteen Thousand Six Hundred and Thirty Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150805115628382 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through chaz even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

25-2-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar

Phone: 0191-272149

Email: offkedarnath@gopeshwar

पत्रांक: 831 C / 12-1 गपेश्वर दिनांक 29/11/2020

संख्या: 11

अतिरिक्त अधिकारी
प्रभागीय वन्यजीव
गोपेश्वर

विषय:- जनपद सुमोली के विस्तारवर्धन परमोली से बड़खार से बड़खार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे० की भूमि का गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु स्वीकृति निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय में अज्ञात करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्माण की गई है। जिससे अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि तथा एन०डी०वी० की धनराशि निम्नानुसार जमा की जाती है:-

क्र०	जिले में धनराशि जमा की जाती है।	क्षेत्रफल(हे० में)	दर प्रति वृक्ष / हे०	कुल धनराशि
1	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	2110 वृक्षों का रोपण	1331.00	28,08,410.00
2	एन०डी०वी० (घनत्व 5)	0.937 हे०	845000.00	7,91,765.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर (अभिषेक)

प्रभागीय वन्यजीव विभाग
गोपेश्वर

भवदीय,

(अभिषेक कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION FOR
GOPESHWAR

प्रमाण पत्र

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 40/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 40/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे. वन भूमि का स्वीकृति मिलने पर एन0पी0वी0 धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार की निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 40/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव होगा मार्ग के दोनों किनारों तथा Central Verge में अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
B. गौपिस्वर

"राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र"

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2493/12-1 दिनांक 29/12/2018 तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर की पत्र संख्या-2225/12-1 दिनांक 01/02/2019 से जनपद चमोली के अंतर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये गये प्रमाण पत्र/आख्या कि याचित 0.937 हे० वन भूमि का केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से 6.00 कि०मी० दूर है, के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ होगी, के साथ उक्त मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति के साथ दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त परियोजना के निर्माण हेतु संस्तुति दी जाती है।

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691

पत्रांक 2274/12-1

देहरादून

दिनांक 13 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० दि०, गोपेश्वर

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

दायाँ पक्षे मन्त्रालय
नम
Bueg

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.O.B
GOPESHWAR